21/12/2022

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी अनु० वकील वादी की ओर से दिनांक 20/9/19 को पत्रावली हेतु समय मांग रहा है। वकील प्रतिवादी इस जवाब पेश नहीं किया जा रहा है। वकील वादी एवं वकीलगण के बार-बार कहने पर व्यापालय समय में आवाजें लगाई गई बावजूद के उपस्थित नहीं हुए। वादी अनुपस्थित पत्रावली पेश की जा रही है। अतः वकील वादी का वाद 09 Rs में खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर के समक्ष पेश हुआ देखकर खारिज घोषित है। नियमानुसार दिनांक 21/12/2022 को खुले व्यापालय में सुनाया गया।

Manisha

(प्रशिक्षु)

प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Choudhary
Date: 2023.01.05 15:24:53 IST
Reason: SelfAttested